

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी

(वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर) के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़)



1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : .....

3. लिंग पुरुष संकेतक-1 महिला संकेतक-2
4. पिता/पति का नाम : .....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : .....
- (हिन्दी में) : .....
- : .....
- (ब) स्थाई पता : .....
- : .....
- : .....

6. (अ) जन्मतिथि (अंको में)
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(शब्दों में) : .....

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु : ..... वर्ष ..... माह ..... दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर : .....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति वर्ग सदस्य है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

11. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक .....

13. रोजगार कार्यालय का नाम : .....

14. क्या आप विवाहित हैं ? हाँ/नहीं

15. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. जीवित बच्चों की संख्या-

क्रं.	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1.	2.	3.	4.

17. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्रा सांक	पूर्णांक	प्रतिशत /ग्रेड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

19. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-  
टीप:- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें ।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. 5 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र	.....
2. 8 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र	.....
3. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	.....
4. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र	.....
5. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र	.....
6. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	.....
7. अन्य -	

### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं , तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाइल नं.-

ई-मेल-

(मोबाइल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

**//शपथ पत्र का प्रारूप//**

-: शपथ पत्र :-

मैं ( शपथकर्ता का नाम ) .....  
पिता/पति.....जन्मतिथि.....वर्ग.....निवासी.....  
.....जिला..... का हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार की  
स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्र. .... / 2003 में भृत्य के पद पर  
भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल.....कक्षा उत्तीर्ण है। आठवी कक्षा से अधिक उच्च योग्यता मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
2. मेरी पांचवी के अंकसूची में मेरा प्राप्तांक .....अथवा ..... ग्रेड अथवा ग्रेड अथवा सी.जी.पी.ए. है। (यदि लागू न हो तो काट दिया जावे)
3. यह कि मैंने भृत्य के पद पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन -पत्र में शैक्षणिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी समय समाप्त / निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

**नाम :-**

**//सत्यापन//**

मैं एतद् द्वारा यह शपथ करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दू क्रमांक 01 से 04 तक में दी गई समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य एवं सही है।

स्थान :-

दिनांक

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

**नाम:-**

**नोट:-** शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों से कराया जाएगा। यदि शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं तब असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।